न्यायालय नायब तहसीलदार भकरी मौलासर (नागौर)

राजस्थान सरकार
जरिये पटवार हल्का

बहक श्री साबुदीन
पुत्र श्री फखरूदीन
जाति लोहार नि. बरेठ

मुकदमा नं. 26 / 2018

राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91

निर्णय दिनांक 24/9/18

प्रकरण का संक्षिप्त में सार निम्नवत है कि ग्राम बरेठ, खसरा नम्बर 587 रकवा 0.89 हैक्टर किस्म गैर मु (राजकीय भूमि) पर संवत 2074 में श्री साबुदीन पुत्र श्री फखरूदीन जाति लोहार निवासी बरेठ (जिसे आगे अप्रार्थी कहा गया है) द्वारा बाड़ लगाकर कर अतिक्रमण किये जाने पर पटवारी हल्का अन्तर्गत अप्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु रिपोर्ट प्रस्तावित की।

पटवारी हलका द्वारा प्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तावित रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को राज. भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत नोटिश जारी कर तलव किया गया। तलबी पर अप्रार्थी को नोटिस स्वयं से तामिल हुआ प्राप्त जो शामिल मिसल है। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित होकर किसी प्रकार का जवाब प्रस्तुत नहीं किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का द्वारा ग्राम बरेठ ख.न. 587 रकवा 0.89 है किस्म गैर मु. पर संवत 2074 में बिना विधिक अधिकार के अनाधिकृत नाजायज रूप से राजकीय भूमि पर बाड़ लगाकर कर अतिक्रमण किये जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः प्रकरण में आदेश दिये जाते है कि :–

(1) अतिक्रमी को आरजी राज से बेदखल किया जाकर कब्ज बहक सरकार लिया जावे।

(2) लगान दर रूपया 2 प्रति हैक्टर का 50 गुणा रूपया 56/- (रूपये छप्पन रूपये मात्र) शास्ति कायम की जाती है।

कियान्विती हेतु पटवारी हल्का बरेठ निर्णय की बासोटा एवं तहसील राजस्व लेखाकार को पालनार्थ आदेश जारी किये जाये।

पत्रावली निर्णित शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दपतर हो।

निर्णय आज दिनांक 24/9/18 का सरे इजलास सुनाया।

(हस्ताक्षर)
नायब तहसीलदार भकरी मौलास (नागौर)

2018-19
पंजि ... पृष्ठ सं. 61
प... 56/- रु० की

तहसील राजस्व लेखाकार